प्रेस विज्ञप्ति
16.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा के खिलाफ, जो रुड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज चलाते हैं, साथ ही जिला समाज कल्याण कार्यालय, हरिद्वार के अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 11.06.2025 को देहरादून में सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। इससे पहले, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विवेक शर्मा और अंकुर शर्मा की 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन, सिडकुल, हरिद्वार, उत्तराखंड द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पता चला है कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, रुड़की ने 2013-14 से 2016-2017 की अवधि के दौरान समाज कल्याण विभाग, हरिद्वार से एससी/एसटी छात्रों के नाम पर धोखाधड़ी से भारी मात्रा में छात्रवृत्ति प्राप्त की थी। यह भी पता चला है कि संस्था ने एससी/एसटी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति हासिल करने के लिए फर्जी और जाली दावे किए थे और धनराशि का गबन किया था। दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रुड़की ने अपने ट्रस्टियों के माध्यम से खुद को गलत लाभ पहुंचाते हुए सरकारी खजाने को 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) की वित्तीय हानि पहुंचाई।

ईडी की जांच से पता चला है कि जिला समाज कल्याण कार्यालय के अधिकारियों की रचनात्मक और सक्रिय सहायता से इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारा अर्जित अपराध के आगम (पीओसी) को दीन दयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट के बैंक खातों या कॉलेज के अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और ट्रस्ट के खर्चों के लिए उपयोग किया गया और नकद में निकाल लिया गया।

आगे की जांच जारी है।